न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी – गौरव अग्रवाल (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
023/2022 (रा.अ.) (पूर्व प्रकरण संख्या 015/2017(रा.अ.) (GCMS 2022/259)	10.08.2022	08.11.2023

अनवान

कालुराम पिता पृथ्वीराज जाट आयु 75 साल निवासी लक्ष्मीपुरा तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

मृतक के बजाय :–

1/1 रामीबाई पत्नी कालुराम जाट उम्र वयस्क निवासी लक्ष्मीपुरा तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।

1/2 रामनारायण पिता कालुराम जाट अ उम्र वयस्क निवासी लक्ष्मीपुरा तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।

1/3 मनोहर लाल पिता कालुराम जाट अ उम्र वयस्क निवासी लक्ष्मीपुरा तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।

1/4 राजुबाई पुत्री कालुराम जाट अ उम्र वयस्क निवासी लक्ष्मीपुरा तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।

1/5 संतोष बाई पुत्री कालुराम जाट अ उम्र वयस्क निवासी लक्ष्मीपुरा तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।

1/6 कृष्णा बाई पुत्री कालुराम जाट अ उम्र वयस्क निवासी लक्ष्मीपुरा तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।

1/7 मुकेश कुमार पिता कालुराम जाट अ उम्र वयस्क निवासी लक्ष्मीपुरा तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।

अपीलार्थी

बनाम

1 गोपाल पिता प्रेमचन्द जाति जाट आयु वयस्क निवासी लक्ष्मीपुरा तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़।

2 लेहरीबाई पत्नी प्रेमचन्द जाति जाट आयु वयस्क निासी लक्ष्मीपुरा तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़।

3 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेडा तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़।

प्रत्यर्थी

उपस्थिति :– दीपक शर्मा — अपीलार्थीगण
अनुपस्थित — प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2
भैरूलाल सालवी (राजकीय अधिवक्ता) — प्रत्यर्थी संख्या 3

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ प्रकरण संख्या 003/1996 निर्णय दिनांक 23.05.1996

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण ने अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत विरूद्ध प्रत्यर्थीगण के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 द्वारा तहसीलदार निम्बाहेडा के यहां धारा 48 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत भूमि का विनियमन करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। जिस पर रेस्पोडेंट संख्या 3 तहसीलदार निम्बाहेडा ने अपीलार्थी को सूचना दिये बिना प्रकरण संख्या 3/96 दर्ज कर पटवारी हल्का से मौके की रिपोर्ट मंगवाकर बिना किसी स्वीकृति एवं जानकारी के तहसीलदार निम्बाहेडा ने अधिकार क्षेत्र से परे जाकर धारा 48 काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत अपीलार्थी की भूमि का विनियमन आदेश पारित किया उक्त आदेश विधि विरुद्ध अपीलार्थी की स्वीकृति के बगैर पारित किया। जिसकी कोई जानकारी अपीलार्थी को नही थी एवं न ही तहसीलदार निम्बाहेडा के यहां कोई कार्यवाही की प्रोसिर्डींग चली रेस्पोडेंट संख्या 1 एव 2 के आवेदन पर तहसीलदार निम्बाहेडा ने पटवारी हल्का एवं भू अभिलेख निरीक्षक से रिपोर्ट मगंवा कर आदेश पारित किया भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा भी मौका रिपोर्ट बनवाने से पूर्व काई उपस्थिति की सूचना नहीं दी तथा तहसीलदार निम्बाहेडा द्वारा अपीलार्थी को सूचित किये बगेर विधि विरूद्ध जाकर क्षेत्राधिकार के अभाव में प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध जाकर आदेश पारित किया जिसकी अपील जानकारी से अन्दर अवधि पेश है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार निम्बाहेडा का आदेश न्याय, नियम विधि के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। तहसीलदार निम्बाहेडा को धारा 48 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 24 ए ए के तहत सहायक कलेक्टर को विनियम का अधिकार है परन्तु तहसीलदार निम्बाहेडा के अधिकार क्षेत्र से परे जाकर विधि विरूद्ध आदेश पारित किया जो निरस्त योग्य है। धारा 48 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में भूमि के विनियम का प्रावधान है। प्रावधानों के तहत समस्त आसामी काश्तकार की सहमति से ही भूमि के विनियम का प्रावधान लागू होता है। किसी एक काश्तकार के आवेदन पर धारा 48 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत विनियम के आदेश पारित नहीं किया जा सकता जब तक की खातेदार की लिखित सहमति नहीं हो। प्रस्तुत प्रकरण में तहसीलदार निम्बाहेडा रेस्पोडेंट संख्या 3 ने रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 के आवेदन पर विनियम आदेश पारित किया जो अपीलार्थी की स्वीकृति के बिना धारा 48 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत होने से आदेश निरस्त योग्य है। विधि का सिद्धान्त है कि दोनों खातेदारों की सहमति से ही भूमि का विनियम हो सकता है एक पक्षकार की इच्छा पर विनियम नहीं हो सकता है। अधीनस्थ न्यायालयों रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 के आवेदन की कोई सूचना अपीलार्थी को नहीं दी गई है। तथा न ही विधि अनुसार स्वीकृति ली गई। इस प्रकार तहसीलदार निम्बाहेडा का आदेश विधि विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 23.05.1996 की कोई जानकारी अपीलार्थी को नहीं थी न ही कोई सूचना पत्र जारी हुआ इस कारण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

आदेश दिनांक से अपील अंदर अवधि पेश नहीं की जा सकी तथा आदेश दिनांक 23.05.1996 की पालना में तहसीलदार निम्बाहेडा द्वारा 22 वर्षो पश्चात् दिनांक 13.06.2017 को नामान्तरण खोला गया जिस पर राजस्व रेकार्ड में परिवर्तन होनं से रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 द्वारा विवाद करने पर जानकारी हुई तत्पश्चात् आवेंदन करने पर न्यायालय के निर्णय की प्रति 11.08.2017 को प्राप्त होने से जानकारी अपील अंदर अवधि एक माह पेश है। विधिक प्रावधानों के तहत देरी की आवधि को माफ करने हेतु अलग से धारा 5 मियाद अधिनियम का आवेदन मय शपथ–पत्र के पेश है। विधि विरूद्ध पारित आदेश के संबंध में कोई मियाद अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते है, अंत में प्रार्थना की गई कि अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त फरमाया जावें।

इस पर अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थीगण को जरिये नोटिस के तलब किया गया। प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 की और से उनके अधिवक्ता हाजिर आये एवं अधिकार पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली है। प्रत्यर्थी संख्या 3 की और से राजकीय अधिवक्ता हाजिर आये। सुनवाई के दौरान न्यायालय आदेश दिनांक 21.01.2020 से अपील अपीलार्थी अदम हाजरी अदम पैरवी में खारीज की गई। जिस पर अपीलार्थी की ओर से प्रार्थना–पत्र बाबत् अपील पुनः नम्बर पर लिये जाने हेतु पेश किया गया जो कि प्रकरण संख्या 039/2020 (रे.वि.) पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं बाद सुनवाई के उक्त प्रकरण में न्यायालय आदेश दिनांक 20.04.2022 से पुनः सुनवाई हेतु नम्बर पर लिये जाने के आदेश दिये गये। अपील अपीलार्थी को पुनः सुनवाई हेतु नम्बर पर लिये जाने से प्रकरण में उभयपक्षकारान को जरिये सूचना–पत्र के सूचित किया गया। दिनांक 13.09.2022 को अपीलार्थीगण की और से उनके अधिवक्ता हाजिर आये। दिनांक 04.07.2023 को प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 की अनुपस्थिति रिकार्ड की गई। दिनांक 29.08.2023 को अपीलार्थी की और से प्रार्थना–पत्र आदेश 41 नियम 27 जा0दी0 पेश किया गया।

दिनांक 31.10.2023 को अधिवक्ता अपीलार्थी हाजिर आये एवं बहस हेतु निवेदन किया गया। राजकीय अधिवक्ता हाजिर। राजकीय अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में जवाब प्रस्तुत नहीं कर सीधे बहस हेतु निवेदन किया गया। इस पर उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा की गई बहस प्रार्थना–पत्र को सुना गया। सर्वप्रथम अधिवक्ता अपीलार्थी को प्रार्थना–पत्र आदेश 41 नियम 27 जा0दी0 पर सुना गया। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस प्रार्थना–पत्र आदेश 41 नियम 27 जा0दी0 में प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि प्रार्थीगण द्वारा अपील प्रस्तुती हेतु आवश्यक दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियों की प्राप्ति हेतु रूम प्रभारी चित्तौड़गढ़ में प्रकरण संख्या 31/1996 वाद बअनवान गोपाल जाट बनाम कालु जाट निर्णय दिनांक 23.05.1996 न्यायालय तहसीलदार निम्बाहेड़ा के निर्णय की मिसल में से प्राप्ति हेतु आवेदन–पत्र दिनांक 17.11.2022 को प्रस्तुत किया जहां से सम्बन्धित बस्ते की तलाश जारी रखने के अन्तिम इन्डोर्समेन्ट की प्रमाणित प्रति प्राप्त हुई तत्पश्चात् अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा न्यायालय तहसीलदार निम्बाहेड़ा से प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने हेतु दिनांक 14.12.2022 को आवेदन प्रस्तुत किया जहां निम्न

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

दस्तावेज प्राप्त हुए जिन्हे पत्रावली पर रिकॉर्ड पर लिया जाना आवश्यक है। फोटो प्रति प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 48 आर. टी. एक्ट की प्रति दिनांक 19.02.1996, फोटो प्रति नकल निर्णय दिनांक 23.05.1996, निर्णय तहसीलदार निम्बाहेड़ा दिनांक 23.05.1996 की पालना कराने हेतु इजराय प्रार्थना–पत्र एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इजराय में की गयी कार्यवाही की प्रमाणित प्रतियां मयं नामान्तरकरण संख्या 153–। एवं ।। उक्त दस्तावेज पटवारी हल्का द्वारा तहसीलदार निम्बाहेड़ा के आदेश क्रमांक 1096 दिनांक 21.12.2022 के अनुसरण में उपलब्ध प्रमाणित एवं फोटो प्रतियां उपलब्ध करायी जिन्हे सेकेण्डरी साक्ष्य के रूप में रिकॉर्ड पर लिया जाना न्यायहित में आवश्यक होने से यह आवेदन–पत्र पेश है। प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा आवेदन–पत्र के साथ दस्तावेज प्रकरण के निर्णय में आवश्यक दस्तावेज होने से निर्णय से पूर्व प्रस्तुत होकर स्वीकार योग्य रहते है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर लिये जाने का आदेश प्रदान करावें। इसी ईश्तदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपनी बहस प्रार्थना–पत्र समाप्त की। इस पर विद्वान राजकीय अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना–पत्र का गुणावगुण पर निर्णय किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। उभयपक्ष द्वारा की गई बहस प्रार्थना–पत्र आदेश 41 नियम 27 जा0दी0 का चिंतन–मनन किया। हमने वकील अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात का गहनता पूर्वक अध्ययन/परिशीलन किया। हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित दस्तावेजात होकर सक्षम स्तर से जारी किये गये है, जिनका किसी भी प्रकार से बनावटी होने की संभावना नहीं है एवं प्रमाणित दस्तावेजात हस्तगत प्रकरण के निस्तारण में सहयोग करने योग्य प्रतीत होते है जिससे वकील अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र आदेश 41 नियम 27 जा0दी0 के साथ प्रस्तुत प्रमाणित प्रतिलिपि दस्तावेजात को रिकार्ड पर लिया जाना उचित प्रतीत होता है। इसके साथ ही अपीलार्थी द्वारा छायाप्रतियां प्रस्तुत की गई है, जो कि प्रमाणित नहीं है। इसके साथ ही अपीलार्थी द्वारा प्रभारी अधिकारी जिला अभिलेखागार को प्रतिलिपि हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र क्रमांक 924 दिनांक 06.12.2022 की प्रमाणित छाया प्रति प्रस्तुत की गई है। उक्त प्रमाणित प्रतिलिपि के अवलोकन से जाहिर आता है कि प्रकरण में मूल पत्रावली प्रकरण संख्या 003/1996 निर्णय दिनांक 23.05.1996 की मूल पत्रावली तलाश किये जाने के बाजवूद उपलब्ध नहीं हो रही है। ऐसी स्थिति में वकील अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र आदेश 41 नियम 27 जा0दी0 के साथ प्रस्तुत पत्रावली की प्रमाणित प्रतिलिपि की छायाप्रति जो कि तहसीलदार निम्बाहेडा द्वारा अपीलार्थी को उपलब्ध कराई है जो द्वितीयक साक्ष्य के रूप में ग्राह्य किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र आदेश 41 नियम 27 जा0दी0 प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत दिनांक 29.08.2023 को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है एवं मुताबिक प्रार्थना–पत्र आदेश 41 नियम 27 जा0दी0 में वर्णित प्रमाणित दस्तावेजात को

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

रिकार्ड पर लिया जाता है एवं प्रार्थना–पत्र के साथ प्रस्तुत छायाप्रति दस्तावेजात को द्वितीयक साक्ष्य के रूप में ग्रहण किया जाता है। तद्नुसार प्रार्थना–पत्र निर्णित किया जाता है।

इसके पश्चात् उभयपक्ष विद्वान अधिवक्तागण द्वारा की गई बहस प्रार्थना–पत्र बाबत् मियाद अधिनियम को सुना गया। अपनी बहस प्रार्थना–पत्र बाबत् मियाद अधिनियम में विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि अपीलार्थी की ओर से न्यायालय आप में तहसीलदार निम्बाहेडा के आदेश दिनांक 23.05.1996 के विरूद्ध अपील पेश की। उक्त आदेश तहसीलदार निम्बाहेडा द्वारा बिना सूचना दिये पारित किया इस कारण अपीलार्थी को उक्त आदेश की जानकारी नहीं थी। अधिनस्थ न्यायालय ने धारा 48 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत विनियम का आदेश पारित किया परन्तु बिना काश्तकारो की सहमति से अधीनस्थ न्यायालय को आदेश पारित करने का अधिकार नहीं था तथा सहायक कलेक्टर के क्षेत्राधिकार के होते हुए विधि विरूद्ध आदेश पारित किया, इस कारण उक्त प्रकरण की अपील प्रस्तुत की जिसमें मियाद अधिनियम लागू नहीं होता है परन्तु जानकारी से दिनांक 11.08.2017 को नकल प्राप्त होने से बिना किसी देरी के यह अपील पेश है। इस पर विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने मियाद प्रार्थना–पत्र का विरोध करते निवेदन कि अपील अपीलार्थी लगभग 21 वर्ष की अवधि के विलम्ब से प्रस्तुत की गई है जिसका कोई सद्भावी एवं संतोषप्रद कारण अपीलार्थी की और से प्रस्तुत नहीं किया गया है केवल औपचारिक रूप से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत दफा 5 मियाद अधिनियम का पेश किया गया है, अतः अपील अपीलार्थी मियाद के बिन्दु पर ही खारीज फरमाई जावें। इस पर बहस प्रार्थना–पत्र के रिवटल में अधिवक्ता अपीलार्थी ने बताया कि अपीलार्थी को निर्णय दिनांक 23.05.1996 के संबंध में किसी भी प्रकार से कोई नोटिस/सूचना–पत्र प्राप्त नहीं हुआ एवं निर्णय दिनांक 23.05.1996 की पालना में राजस्व रेकार्ड में नामान्तरकरण संख्या 153 दिनांक 13.06.2017 को लगभग 21 वर्ष पश्चात् की गई। राजस्व रेकार्ड में परिवर्तन होने पर ही अपीलार्थी को निर्णय की जानकारी प्राप्त है जिससे जानकारी पर अपील बिना किसी विलम्ब के प्रस्तुत की गई, अतः प्रार्थना है कि आवेदन स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुत किये जाने हुये विलम्ब को क्षम्य किया जावें। इसी ईश्तदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस प्रार्थना–पत्र समाप्त की।

हमने पत्रावली को अवलोकन किया। मियाद प्रार्थना–पत्र के समर्थन में प्रस्तुत शपथ–पत्र का अवलोकन किया। उभयपक्ष द्वारा की गई बहस मियाद प्रार्थना–पत्र का मनन किया। प्रकरण में मियाद के साथ–साथ गुणावगुण पर भी देखा जाना उचित प्रतीत होता है, अतः प्रार्थना–पत्र के निर्णय को रिवर्ज करते हुये पत्रावली को गुणावगुण पर सुनने के आदेश दिये गये।

इस पर विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीग ने अपील मेमों में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 द्वारा तहसीलदार निम्बाहेडा के यहां धारा 48 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत भूमि का विनियमन करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। जिस पर रेस्पोडेंट संख्या 3 तहसीलदार निम्बाहेडा ने

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपीलार्थी को सूचना दिये बिना प्रकरण संख्या 3/96 दर्ज कर पटवारी हल्का से मौके की रिपोर्ट मंगवाकर बिना किसी स्वीकृति एवं जानकारी के तहसीलदार निम्बाहेडा ने अधिकार क्षेत्र से परे जाकर धारा 48 काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत अपीलार्थी की भूमि का विनियमन आदेश पारित किया उक्त आदेश विधि विरुद्ध अपीलार्थी की स्वीकृति के बगैर पारित किया। जिसकी कोई जानकारी अपीलार्थी को नही थी एवं न ही तहसीलदार निम्बाहेडा के यहां कोई कार्यवाही की प्रोसिडींग चली रेस्पोडेंट संख्या 1 एव 2 के आवेदन पर तहसीलदार निम्बाहेडा ने पटवारी हल्का एवं भू अभिलेख निरीक्षक से रिपोर्ट मगंवा कर आदेश पारित किया भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा भी मौका रिपोर्ट बनवाने से पूर्व काई उपस्थिति की सूचना नहीं दी तथा तहसीलदार निम्बाहेडा द्वारा अपीलार्थी को सूचित किये बगेर विधि विरूद्ध जाकर क्षेत्राधिकार के अभाव में प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध जाकर आदेश पारित किया जिसकी अपील जानकारी से अन्दर अवधि पेश है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार निम्बाहेडा का आदेश न्याय, नियम विधि के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। तहसीलदार निम्बाहेडा को धारा 48 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 24 ए ए के तहत सहायक कलेक्टर को विनियम का अधिकार है परन्तु तहसीलदार निम्बाहेडा के अधिकार क्षेत्र से परे जाकर विधि विरूद्ध आदेश पारित किया जो निरस्त योग्य है।

इस पर विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस पत्रावली में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का विधि अनुसार पारित किये जाने का अनुरोध कर प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण किये जाने की ईश्तदुआ के साथ ही अपनी बहस पत्रावली समाप्त की।

बहस के रिवटल में विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अवगत कराया गया कि धारा 48 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में भूमि के विनियम का प्रावधान है। प्रावधानों के तहत समस्त आसामी काश्तकार की सहमति से ही भूमि के विनियम का प्रावधान लागू होता है। किसी एक काश्तकार के आवेदन पर धारा 48 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत विनियम के आदेश पारित नहीं किया जा सकता जब तक की खातेदार की लिखित सहमति नहीं हो। प्रस्तुत प्रकरण में तहसीलदार निम्बाहेडा रेस्पोडेंट संख्या 3 ने रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 के आवेदन पर विनियम आदेश पारित किया जो अपीलार्थी की स्वीकृति के बिना धारा 48 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत होने से आदेश निरस्त योग्य है। विधि का सिद्धान्त है कि दोनों खातेदारों की सहमति से ही भूमि का विनियम हो सकता है एक पक्षकार की इच्छा पर विनियम नहीं हो सकता है। अधीनस्थ न्यायालयों रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 के आवेदन की कोई सूचना अपीलार्थी को नहीं दी गई है। तथा न ही विधि अनुसार स्वीकृति ली गई। इस प्रकार तहसीलदार निम्बाहेडा का आदेश विधि विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय निर्णय दिनांक 23.05.1996 को निरस्त फरमाया जावें। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत **RRD 1980** पेज संख्या 243, **RRD 1981** पेज

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

संख्या 62, **RRD 1981** पेज संख्या 558 एवं **RRD 1989** पेज संख्या 364 का अवलोकन कराया। इसी ईल्तजा के साथ विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस पत्रावली समाप्त की। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। उभयपक्षकारान द्वारा की गई बहस पत्रावली का चिंतन–मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता पूर्वक अध्ययन/परिशीलन किया। पत्रावली को वास्ते निर्णय रिजर्व किया गया।

पत्रावली वास्ते निर्णय प्रस्तुत हुई। हमने पत्रावलियों का आद्यौपांत बागौर अवलोकन किया। पत्रावलियों पर उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेज का अवलोकन/परिशीलन कराया। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त मूल अभिलेखों का गहनता पूर्वक अवलोकन/परिशीलन किया। उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पत्रावलियों का मनन किया। हस्तगत अपील के संबंध में निर्णय के बिन्दु पर विचार करने में न्यायालय के समक्ष निर्णय का बिन्दु यह उभर कर आता है कि – ''**क्या अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार निम्बाहेडा द्वारा अपने प्रकरण संख्या 003/1996 निर्णय दिनांक 23.05.1991 में किसी प्रकार से विधिक भूल/त्रुटि कारित की गई है?, यदि हॉ तो उचित निर्णय क्या होगा?**''

हमने पत्रावलियों का आद्यौपांत अवलोकन किया। पत्रावलियों पर उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेज का अवलोकन/परिशीलन कराया। हमने राजस्थान काश्ताकरी अधिनियम, 1955 के प्रावधानों का अवलोकन किया। अधिनियम में धारा 48–49 के तहत व्यवस्था की गई है कि :–

48. Exchange of land —

(1) Tenants of the same class may exchange land which they hold from the same landholder with the written consent of such landholder or which they hold from different landholders with written consent of all such land holders.
(2) A landholder may in agreement with a tenant given such tenant land other than land which is let, in exchange for land which is included in such tenant's holding.

49. Exchange for consolidation —

(1) A Khatedar tenant who wishes to consolidate the area which he cultivates may supply to the Assistant Collector to exchange any portion of the land which he cultivates for land cultivated by another Khatedar tenant.
(2) If on receipt of an application under sub-section (1), the Assistant Collector is satisfied after making enquiry in the prescribed manner that reasonable grounds exist, he may grant such application either in whole or in part and allot to the other tenant land cultivated by the applicant which is approximately equal in value to and is of same quality as the land received by the applicant.

अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त मूल अभिलेखों का गहनता पूर्वक अवलोकन/ परिशीलन किया। उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पत्रावली का मनन किया। अधिनियम 1955 की धारा 48–49 में अभिधृतियों का विनिमय के प्रावधान प्रावधित किये गये है। अधिनियम की धारा 48 में प्रावधित किया गया है कि एक ही वर्ग के अभिधार उस भूमि का जिसे वे एक ही भू–धारक से धारण करते है, ऐसे भू–धारक की लिखित सम्पत्ति से या यदि वे भूमि को विभिन्न

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

भू–धारकों से धारण करते है तो ऐसे सभी भू–धारकों की लिखित सम्पत्ति से विनिमय कर सकेंगे। इसके साथ ही अधिनियम की धारा 49 की उपधारा 1 में प्रावधित किया गया है कि कोई खातेदार अभिधारी जो ऐसे किसी क्षेत्र का, जिसे वह जोतता है, समेकन करना चाहे तो वह सहायक कलक्टर से उस भूमि के जिसे वह जोतता है, किसी भाग का किसी अन्य खातेदार अभिधरी द्वारा जोती जाने वाली भूमि से विनिमय करने के लिए आवेदन कर सकेगा। धारा 49 की उपधारा 2 में प्रावधित किया गया है कि उप–धारा 1 के अधीन आवेदन पत्र प्राप्त होने पर यदि सहायक कलक्टर का विहित रीति से जांच करने के पश्चात् समाधान हो जाए कि युक्ति–युक्त आधार विद्यमान है तो वह ऐसे आवेदन को पूर्ण या आंशिक रूप से मंजूर कर सकेगा और आवेदक द्वारा जोती जाने वाली ऐसी भूमि जो मूल्य में आवेदक द्वारा प्राप्त की जाने वाली भूमि के लगभग समान और वैसी है गुणात्मकता वाली हो, दूसरे अभिधारी को आवंटित कर सकेगा। अधिनियम की धारा 48 एवं 49 में स्पष्ट रूप से प्रावधित किया गया है कि भूमि विनिमय के अधिकार केवल सहायक कलक्टर को है। न्यायिक दृष्टांत **RRD 1980** पेज संख्या 243 द्वारा इस आशय का प्रतिपादन किया गया है कि भूमि विनिमय के अधिकार केवल सहायक जिलाधीश को है। तहसीलदार विनिमय नहीं कर सकता है। इसके साथ ही न्यायिक दृष्टांत **RRD 1981** पेज संख्या 558 द्वारा प्रतिपादित किया गया है कि धारा 48 आपसी सहमति से किये गये विनिमय मामलों में लागू होती है। अधिकार के रूप में भूमि का विनिमय नहीं किया जा सकता है। हस्तगत प्रकरण में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात जो कि द्वितीयक साक्ष्य के रूप में पत्रावली पर है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार निम्बाहेडा के प्रकरण संख्या 003/1996 की आदेशिका का अवलोकन किये जाने से यह तथ्य उभय कर आता है कि निर्णय दिनांक 23.05.1996 वादी एवं प्रतिवादी की अनुपस्थिति में पारित किया गया है, एवं वकील वादी उपस्थित है। प्रकरण में पक्षकारान की अनुपस्थिति अंकित की गई है एवं पटवारी हल्का मांगरोल द्वारा बताया गया है कि खातेदार की सहमति है। इस बाबत् पत्रावली पर कोई ठोस दस्तावेजात अथवा रिपोर्ट का होना अंकित नहीं पाया गया है केवल मौखिक अवगत कराया जाना ही जाहिर आता है।

अधिनियम 1955 की धारा 48 व 49 की क्षेत्राधिकारिता बाबत् अधिनियम की तृतीय अनुसूची के भाग–2 के क्रम संख्या 039 पर धारा 49 चकबन्दी हेतु निनिमय हेतु प्रार्थना–पत्र की क्षेत्राधिकारित अनुसूची के कॉलम संख्या 7 के अनुसार सहायक कलक्टर को प्रदान की गई है। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ तहसीलदार निम्बाहेडा द्वारा अधिनियम 1955 की धारा 48–49 की क्षेत्राधिकारिता के महत्तवपूर्ण को पूर्ण रूप से अनदेखा किया जाना जाहिर है। जिससे न्यायालय के समक्ष यह तथ्य निर्विवाद रूप से प्रमाणित पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार निम्बाहेडा द्वारा प्रकरण संख्या 003/1996 निर्णय दिनांक 23.05.1996 अपने क्षेत्राधिकारिता से परे जाकर निर्णय पारित किया गया है। इसके साथ ही प्रत्यर्थीगण की प्रकरण में अनुपस्थिति रिकार्ड होने से अपील अपीलार्थी का किसी भी प्रकार से कोई खण्डन प्रत्युत्तर रिकार्ड पर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

नहीं है, ऐसी स्थिति में निर्णय के बिन्दु पर विचार करने से हमारा अभिमत है कि उक्त प्रकरण में अधीनस्थ तहसीलदार निम्बाहेडा द्वारा निर्णय दिनांक 23.05.1996 क्षेत्राधिकारिता से परे जाकर पारित किया गया है जिससे अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार निम्बाहेडा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.05.1996 अपास्त किये जाने योग्य है। जिससे अपील अपीलार्थी स्वीकार किये जाने योग्य है।

हस्तगत प्रकरण में मियाद प्रार्थना–पत्र पर निर्णय पारित किया जाना शेष है। हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थीगण द्वारा अपील मेमों के साथ प्रस्तुत दस्तावेज प्रमाणित प्रतिलिपि अधीनस्थ न्यायालय के अवलोकन से जाहिर होता है कि अपीलाधीन निर्णय दिनांक 23.05.1996 अपीलार्थीगण की उपस्थिति में पारित किया गया है, जिसकी जानकारी तहसीलदार निम्बाहेडा द्वारा निर्णय दिनांक 23.05.1996 की पालना में निर्णित नामान्तरकरण संख्या 153 से होना संभाव्य है, इसके साथ ही अपील अपीलार्थीगण गुणावगुण पर मजबूत होकर बलवर्धक पाई गई है, एवं माननीय उच्च न्यायालयों द्वारा विभिन्न नयायिक दृष्टांतों द्वारा प्रतिपादित किया गया है कि प्रकरण को गुणावगुण ही देखा जाना चाहिए तकनीकी आधार पर प्रकरण का निस्तारण किया जाना उचित नही है एवं हस्तगत अपील उपर्युक्त विश्लेषण में गुणावगुण पर मजबूत है, जिससे अपीलार्थीगण द्वारा अपील प्रस्तुती हुये विलम्ब को क्षम्य किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाता है एवं अपीलार्थी द्वारा अपील प्रस्तुती में विलम्ब हुये कुलिया विलम्ब को क्षम्य किया जाकर अपील अपीलार्थीगण अन्दर मियाद शुमार किये जाने का आदेश दिया जाता है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर न्यायालय हाजा में विचाराधीन राजस्व अपील प्रकरण संख्या 023/2022(रा.अ.) अनवानी कालुराम वगैराह बनाम गोपाल वगैराह अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 को स्वीकार किया जाता है, एवं अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार निम्बाहेडा द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय प्रकरण संख्या 003/1996 निर्णय दिनांक 23.05.1996 अनवानी गोपाल वगैराह बनाम कालुराम अन्तर्गत धारा 48 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 को अपास्त किया जाता है। तहसीलदार निम्बाहेडा को निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **08.11.2023** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(गौरव अग्रवाल)
जिला कलक्टर,
चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official